

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)**

पीठासीन अधिकारी:—गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 65/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. भोपालसिंह आत्मज महताबसिंह राजपुत निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. बहादुरसिंह आत्मज महताबसिंह राजपुत निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. प्रेमसिंह आत्मज महताबसिंह राजपुत निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. हरिसिंह आत्मज सोहनसिंह राजपुत निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. डुंगरसिंह आत्मज सोहनसिंह राजपुत निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. मोहनकंवर बेवा सोहनसिंह राजपुत निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. महेन्द्रसिंह आत्मज भगवानसिंह राजपुत ना.वा.व.वि. जरिये माता प्रेमकंवर बेवा भगवानसिंह राजपुत निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. कृष्णाकंवर पुत्री भगवानसिंह राजपुत ना.वा.व.वि. जरिये माता प्रेमकंवर बेवा भगवानसिंह राजपुत निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. प्रेमकंवर बेवा भगवानसिंह राजपुत निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. शक्तिसिंह आत्मज नारायणसिंह राजपुत ना.वा.व.वि. जरिये माता नन्दकंवर बेवा नारायणसिंह राजपुत निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. नन्दकंवर बेवा नारायणसिंह राजपुत निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
12. शंकरलाल आत्मज नानुराम ब्राह्मण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
13. राधेश्याम आत्मज नानुराम ब्राह्मण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. उदयसिंह आत्मज मोहनसिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. रतनसिंह आत्मज मोहनसिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. मदनसिंह आत्मज मोहनसिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. अमरसिंह आत्मज मनोहरसिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. तेजसिंह आत्मज भंवरसिंह राजपुत निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. किशनसिंह आत्मज कानसिंह राजपुत निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. रणजीतसिंह आत्मज समुन्द्रसिंह राजपुत निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. सुमेरसिंह आत्मज जसवन्तसिंह राजपुत निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. जब्बरसिंह आत्मज जसवन्तसिंह राजपुत निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. भैरूसिंह आत्मज शम्भुसिंह राजपुत निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. लेहरूलाल आत्मज मांगीलाल शर्मा निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
12. हाथीराम आत्मज धन्ना गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
13. प्रेमसिंह आत्मज विजयसिंह राजपुत निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
14. मोहन आत्मज भैरा गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
15. मंगलसिंह आत्मज मोतीसिंह राजपुत निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण

उपस्थित
1. हरिश टेलर -

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 17.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बाड़िया कला पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 289 रकबा 0.53 हैक्ट. आराजी संख्या 1449 रकबा 0.02 हैक्ट. आराजी संख्या 1452 रकबा 0.12 हैक्ट., आराजी संख्या 1453 रकबा 0.21 हैक्ट. आराजी संख्या 1454 रकबा 0.06 हैक्ट. आराजी संख्या 1496 रकबा 0.07 हैक्ट. आराजी संख्या 1497 रकबा 2.52 हैक्ट. आराजी संख्या 1498 रकबा 0.21 हैक्ट. आराजी संख्या 1499 रकबा 0.03 हैक्ट. आराजी संख्या 1500 रकबा 0.05 हैक्ट. कुल किता 10 कुल रकबा 3.82 हैक्ट. भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 135 पर स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के कोई मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने मवेशी वगैरा चराने में दरमियान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता हैं। जिससे प्रार्थीगण को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 16 प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ पड़ौसी होने से पक्षकार बनाये गये हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे व प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 18.05.2018 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी करवाने से इंकार हो गए, जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 20.06.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 15 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी संख्या 16 के विरुद्ध प्रार्थी के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देश नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम बाड़िया कला पटवार हल्का नान्दशा के बेरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 289 रकबा 0.53 हैक्ट. आराजी संख्या 1449 रकबा 0.02 हैक्ट. आराजी संख्या 1452 रकबा 0.12 हैक्ट., आराजी संख्या 1453 रकबा 0.21 हैक्ट. आराजी संख्या 1454 रकबा 0.06 हैक्ट. आराजी संख्या 1496 रकबा 0.07 हैक्ट. आराजी संख्या 1497 रकबा 2.52 हैक्ट. आराजी संख्या 1498 रकबा 0.21 हैक्ट. आराजी संख्या 1499 रकबा 0.03 हैक्ट. आराजी संख्या 1500 रकबा 0.05 हैक्ट. कुल किता 10 कुल रकबा 3.82 हैक्ट. भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे



प्राप्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा दें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है, तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रुपये 200/- अक्षरे दौ सौ रुपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 1700/- अक्षरे एक हजार सात सौ रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।



गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 17.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा